न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां RAS

GCMS प्रकरण संख्या 2021/632

प्रकरण संख्या 173/21

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अनवान

श्री निखिलेश बनाम श्री भूपेश कुमार

अनवान

1. निखिलेश पिता श्री हरिसिंह मोदी, आयु–वयस्क, निवासी– ब्रह्मपुरी, कानोड़, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर (राज.)
2. ज्योति रांका पत्नि श्री निखिलेश मोदी, आयु– वयस्क, निवासी– ब्रह्मपुरी, कानोड़, तहसील–कानोड़ जिला–उदयपुर (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भूपेशकुमार पिता श्री हरसिंह मोदी, आयु–वयस्क, निवासी– ब्रह्मपुरी, कानोड़, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर (राज.)
2. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कानोड़, तहसील–कानोड़ जिला–उदयपुर (राज.)

–विपक्षीगण

अधिवक्ता वादी – श्री मुकेश कुमार डांगी
अधिवक्ता प्रतिवादी – श्री सुरेन्द्र कुमार चौबिसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांक: 10.03.2022**

1. प्रार्थीगण श्री निखिलेश पिता श्री हरिसिंह एवं ज्योति रांका पत्नि श्री निखिलेश मोदी निवासी – ब्रहमपुरी कानोड़ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया [illegible] कार है कि ग्राम– कानोड़, पटवार हलका– कानोड़, भू.अ[illegible] उदयपुर (राज.) में स्थित **परिशिष्ठ (क)** आ.नं. 1370/2 से 01 [illegible] वर्तमान राजस्व अभिलेख में उपरोक्त आराजी की 23/640 हिस्सा [illegible] रूप से प्रार्थी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2,3 के नाम पर, 1/4 हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 के नाम पर, 44/180 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 के नाम पर, 1/180 हिस्सा प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

4 के नाम पर, 5/128 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर, 3/22 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 के नाम पर, 6/640 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 के नाम पर, 69/640 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 एवं 9 के नाम पर, 20/640 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 के नाम पर, 41/640 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 के नाम पर, 35/640 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 एवं 13 के नाम पर तथा 41/640 हिस्सा नगरपालिका, कानोड़ के नाम पर अंकित है।

परिशिष्ठ (ख) आ. नं. 1371 क्षे. 0 बीघा 15 बिस्वाआ. नं. 0 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 2 कुल क्षे. 01 बीघा 02 बिस्वा वर्तमान राजस्व अभिलेख ममें उपरोक्त आराजी का 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से प्रार्थी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2,3 के नाम पर, 1/4 हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 के नाम पर, 44/180 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 के नाम पर, 1/180 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर अंकित है।

2. ग्राम– बोलियों का साथ, पटवार हलका– कानोड़,, भू.अभि.नि. क्षेत्र–कानोड़, तह.– कानोड़, जिला–उदयपुर (राज.) में स्थित आ.नं. 487 क्षे. 04 बीघा 07 बिस्वा, आ.नं. 488 क्षे. 04 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 2 कुल क्षे. 08 बीघा 18 बिस्वा वर्तमान राजस्व अभिलेख में उपरोक्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से प्रार्थी संख्या 1 के नाम पर, 1/180 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 के नाम पर अंकित है।

3. उपरोक्त परिशिष्ठ (क) में अंकित आराजी में प्रार्थी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2,3 के नाम पर अंकित 1/4 एवं 80/420 हिस्सा, प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 3 में अंकित आराजीयात में प्रार्थी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2,3 के नाम पर अंकित 1/4 एवं 80/420 हिस्सा, प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 3 में अंकित आराजीयात में प्रार्थी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2,3 के नाम पर अंकित 1/2 हिस्सा स्व. श्री हरिसिंह मोदी की विरासत से प्रार्थी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2,3 के नाम पर संयुक्त रूप से अंकित हुआ है। तथा परिश्ष्ठि (क) में अंकित आराजी में नगरपालिका कानोड़, के नाम पर अंकित 41/640 हिस्सा एवं परिशिष्ठ (ग) में अंकित आराजी में नगरपालिका, कानोड़ के नाम पर अंकित 25/420 हिस्सा रूपान्तरित हो चुका है, परन्तु राजस्व अभिलेख में यह रूपांतरित हिस्सा स्वतंत्र रूप से दर्ज नहीं किया हुआ है, जिससे प्रार्थीगण द्वारा इस हेतु मूल वाद में धारा 136 [illegible] के तहत राजस्व अभिलेख को शुद्ध किये जाने के अनुतोष को [illegible] की गई है। प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ (क), (ख), (ग) में एवं ग्राम– बोलियों का [illegible] पटवार हलका– कानोड़,, भू. अभि.नि. क्षेत्र–कानोड़, तह.– कानोड़, जिला–उदयपुर (राज.) में स्थित आ.नं. 487 क्षे. 04 बीघा 07 बिस्वा, आ.नं. 488 क्षे. 04 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 2 कुल क्षे. 08 बीघा 18 बिस्वा भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 14 का राजस्व अभिलेख में अंकित हिस्से अनुसार ही संयुक्त रूप से हक, हिस्सा, खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अधिकार एवं आधिपत्य है एवं यह भूमि राजस्व अभिलेख में भी प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 14 के नाम पर संयुक्त रूप से सह खातेदारी हक से दर्ज है, जिसका आज दिन तक प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 14 के मध्य कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ (क), (ख), (ग) में एवं ग्राम– बोलियों का साथ, पटवार हलका– कानोड़,, भू.अभि.नि. क्षेत्र–कानोड़, तह.– कानोड़, जिला–उदयपुर (राज.) में स्थित आ.नं. 487 क्षे. 04 बीघा 07 बिस्वा, आ.नं. 488 क्षे. 04 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 2 कुल क्षे. 08 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्व. श्री हरिसिंह की विरासत से प्रार्थी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के नाम पर संयुक्त रूप से अंकित हुई है, वह भूमि मौके पर भी प्रार्थी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2,3 के संयुक्त रूप से उपयोग–उपभोग में ही चली आ रही है एवं इस हिस्से की भूमि का मौके पर प्रार्थी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2,3 के मध्य अनुमानतः भी हिस्से अनुसार कोई बंटवारा किया हुआ नहीं है एवं प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 2 में अंकित भूमि कानोड़ मुख्य बस स्टेण्ड के पास स्थित होकर बेशकीमती है, जिससे विपक्षी संख्या 1 अवैध रूप से प्रार्थी संख्या 1 के हक, अधिकारों को भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है एवं प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ (क), (ख), (ग) में अंकित भूमि में से स्व. श्री हरिसिंह की विरासत से जो भूमि प्रार्थी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2,3 के संयुक्त उपयोग–उपभोग की है, उसमें विपक्षी संख्या 1 अनाधिकार अवेध रूप से बाहुबल के आधार पर आगे के भाग की तरफ जबरन निर्माण कार्य करने पर उतारू है एवं प्रार्थी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 1 के समक्ष निवेदन किया। परन्तु विपक्षी के धमकी देने के कारण प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का कानूनन विभाजन कराने के अधिकारी है एवं बिना विभाजन कराये विपक्षी संख्या 1 को अनाधिकार अवैध रूप से निर्माण करने का एवं संयुक्त हिस्से एवं उपयोग–उपभोग की भूमि से प्रार्थी संख्या 1 को जबरन वेदखल करने का कोई हक नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 से 14 वाद में आवश्यक पक्षकार होने से मूल वाद में पक्षकार मुकदमां बनाये गये है। प्रतिवादी संख्या 2 से 14 के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं चाहने से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 से 14 को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को ज[illegible] तलब किया गया। अप्रार्थी श्री भूपेशकुमार पिता श्री हरि[illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर [illegible] विपक्षी व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया है जो सुदृढ आ[illegible] पर आधारित नहीं है जिससे प्रार्थी को किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं होगी। प्रार्थना पत्र परिशिष्ठ 'क' के आराजी संख्या 1370/2 क्षेत्रफल की आराजी में पक्षकारान् का जमाबन्दी अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

राजस्व रेकर्ड में हिस्सा होना स्वीकार है तथा परिशिष्ठ 'ख' के आराजी नम्बर 1371 क्षे. 0 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 2 कुल क्षे. 1 बीघा 2 बिस्वा में भी पक्षकारान् का राजस्व रेकर्ड अनुसार अपना अपना हिस्सा होना स्वीकार है तथा उक्त कलम के परिशिष्ठ 'ग' के आराजी संख्या 1369/2 क्षे. 1 बीघा 1 बिस्वा में राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी अनुसार हिस्सा है। उक्त आराजी में नगरपालिका कानोड़ का जो हिस्सा है, नगर पालिका का हिस्सा होते हुए भी प्रार्थीगण ने अपने वाद में नगर पालिका को मूलवाद में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। आ.नं. 487 क्षे. 4 बीघा 7 बिस्वा एवं आ.नं. 488 क्षे. 4 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल क्षे. 8 बीघा 18 बिस्वा में पक्षकार अपने हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड अनुसार काबिज है तथा उक्त आराजी को बिकाव से नवल सिंह पिता वरदीचन्द मोदी द्वारा 1/4 हिस्सा कविता पत्नी भूपेश मोदी बिकाव से खरीदी गई एवं इन्तकाल संख्या 824 से कविता के नाम पर खाते दर्ज हुई है और खाते तथा कब्जे अनुसार निरन्तर रूप से कृषि कार्य करते चले आ रहे है। उक्त कलम में वर्णित आराजियात में खातेदार निखिलेश, वसुधा पुत्री हरि सिंह मोदी एवं श्रीमती शान्ता देवी पत्नी हरि सिंह मोदी के हिस्से को विपक्षी भूपेश कुमार मोदी करीब एक वर्ष से किराया पद्धति पर लेकर काश्त कर रहा है। वादी ने बताया कि प्रार्थना पत्र की परिशिष्ठ क में वर्णित आराजीयात् में पक्षकारन् का राजस्व रेकर्ड अनुसार हिस्सा होना स्वीकार है तथा परिशिष्ठ 'क' में अंकित आराजी में नगर पालिका कानोड़ का नाम व हिस्सा तथा परिशिष्ठ 'ग' में अंकित नगरपालिका कानोड़ का नाम व हिस्सा अंकित है तथा परिशिष्ठ क, ख, ग में अंकित आराजी तथा ग्राम– बोलियों का साथ, पटवार हलका– कानोड़,, भू.अभि.नि. क्षेत्र–कानोड़, तह.– कानोड़, जिला–उदयपुर (राज.) में स्थित आ.नं. 487 क्षे. 04 बीघा 07 बिस्वा, आ.नं. 488 क्षे. 04 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 2 कुल क्षे. 08 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्व. रघुवीर सिंह, नवल सिंह एवं स्व. हरि सिंह व स्व. दाख बाई द्वारा अपने जीवनकाल में आपस में मौखिक बंटवारा कर के अपने हिस्से अनुसार काबिज हुए। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 के कब्जे की भूमि से उसे बेदखल करना चाहते है। इस वजह से प्रार्थीगण ने झूठा वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से में आई हुई जमीन पर ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा है परन्तु उक्त जमीन बेशकीमती होने की वजह से उक्त जमनी को हड़पने की नियत से प्रार्थीगण द्वारा झूठा प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान [illegible] को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में [illegible] पत्र में व[illegible] तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को [illegible] का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया द्वारा

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.))

सहायक कलक्टर भीण्डर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों को अंकित कर पेश किया जाना बताया एवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है।

1. प्रथम दृष्टया मामला– उक्त विवादित भूमि ग्राम–कानोड़ A, पटवार मण्डल–कानोड़, भू–अभिलेख क्षेत्र कानोड़, तहसील–कानोड़, जिला–उदयपुर के आराजी नं. 1370/2, रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नं. 1371, रकबा 15 बिस्वा, आ.नं. 1376, रकबा 7 बिस्वा संयुक्त खातेदारी भूमि में बिना विभाजन कराये निर्माण कार्य करने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है।

2. अपूर्णीय क्षति– उक्त विवादित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा निर्माण किया जाने पर प्रार्थी–गण को अपूर्णीय क्षति होगी, यह अविभाजित भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि होने के कारण विपक्षी संख्या 1 द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने से अपुर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होगी।

3. सुविधा व संतुलन– प्रथम दृष्ट्या मामला व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को सुविधा व संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष तावाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह भूमि जिसका रूपान्तरण नहीं हुआ है एवं खातेदारी है मौजा कानोड ए पटवार हल्का कानोड़ तहसील कानोड़ जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 738 पर दर्ज आराजी नम्बर 1370/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि, खाता संख्या 748 पर दर्ज आराजी नम्बर 1371, 1376 किता 2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि, खाता संख्या 749 पर दर्ज आराजी नम्बर 1369/2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि तथा मौजा बोल्यो का साथ पटवार हल्का कानोड़ की जमाबंदी संपत 2068–71 के खाता संख्या 190 पर दर्ज आराजी नम्बर 487, 488 किता 2 रकबा 8 बीघा 18 बि[illegible]र किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे। मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे। [illegible]य खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puniadia
Date: 2022.10.12 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर (जिला–उदयपुर (राज.)

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner